

प्रैपक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।
सेवा में,

प्रबन्धक,
विजडम वर्ल्ड स्कूल,
शिकारपुर विठ्ठो शिकारपुर,
जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक /शिवाय/ मान्यता/ २२३८-४०

/2017-18

दिनांक २-१-१८

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदय,

आपके तारीख 18.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं विजडम वर्ल्ड स्कूल, शिकारपुर विठ्ठो शिकारपुर, बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2018 से तारीख 31.03.2021 तक रीन वार्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 28.12.2017 के प्रसार रांख्या में उपरान्त सहमति के आधार पर अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरान्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वायदा विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांकं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांकं 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की रांख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोर के कान्जोर कर्मों और सुविधा किसी भी समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा उपरान्त पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैसा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पूरीत प्रिया जाएगा। ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैनंदिन खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैफियेत शुल्क का रांयहण नहीं करेगा और किसी बालक था उसके माता-पिता या रांकाक वाले किसी रक्तीनिंग प्रक्रिया के अद्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का राहा न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निकालिया जाएगा।

ख- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई घोर्झ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

च- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

छ- अद्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अद्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

ज- अद्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

झ- अद्यापक स्वयं को किसी निजी अद्यापक किया कलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

०८

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- | | | |
|--|---|------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - | 5497 वर्ग मी० |
| कुल निर्भित क्षेत्र | - | 5442.22 वर्ग मी० |
| क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल | - | 3527.44 वर्ग मी० |
| कक्षाओं की संख्या | - | 10 |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष | - | 10 |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | - | उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा | - | उपलब्ध है। |
| बाधा रोहित घंटा | - | उपलब्ध है। |
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद, उपरकरों/पुरस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई ईगेस-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बनाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकनास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड रांच्या-अग्रेंजी अस्थाई नंबरी व जूनियर -2 है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सातत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कागियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, पदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपायक से अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का रखाने वैज्ञ देते अधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिपिंतर कर्मचारियों की नियुक्ति गर्भी की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्द्धता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीव्र वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

पृष्ठा०/शि०स०/

/2017-18 तददिनांक-

प्रतिलिपि:-

- सहायक शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल गेरठ
- साध्यनित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/शिकारा खण्ड/नगर क्षेत्र
- कार्यालय प्रति।

मुद्रित
पृष्ठा०/१०
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

प्रिया वैसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।